

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 308/2021

1. महावीर प्रसाद पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
2. जिलेशिंह पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
3. ताराचंद पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
4. दयाराम पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
5. राजकुमार पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।

:- वादीगण

ब नाम

1. सन्तुराम पुत्र धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
2. ओमपति देवी पुत्री सन्तुराम पत्नी मनोहर
3. रोशनी देवी पुत्री सन्तुराम पत्नी दिवानसिंह
4. मुड्डीदेवी पुत्री सन्तुराम पत्नी मनोहर
5. विमला पुत्री सन्तुराम पत्नी इन्द्रसिंह
6. सरोज पुत्री सन्तुराम, पत्नी जयवीर
7. आई.सी.आई.सी.आई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- खाता तकसीम

अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा - वादी

वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा - प्रतिवादीगण

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 219 के मु० न० 95 के किला न० 3 की 0.2020 है०, किला न० 4 की 0.2020 है०, किला न० 7, 8, 11 ता 15 प्रत्येक किला की 0.2530 है०, किला न० 19/1 की 0.1260 है०, किला न० 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु० न० 96 के किला न० 15 व 16 प्रत्येक की 0.2530 है०, मु० न० 120 के किला न० 1, 10, 12 प्रत्येक किला की 0.2530 है० कुल 4.0720 है० वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 सन्तुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रिक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है। प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 7 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया व प्रतिवादी सं० 8 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडव्यु 1 महावीर प्रसाद पुत्र संतुराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सूरतपुरा खाता सं० 219/198 प्रदर्श 1 नक्शा नजरी भूमि प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा सूरतपुरा में स्थित पैतृक कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने व मुताबिक वाहमी बंटवारा के खाता विभाजन करवाने हेतु वाद पेश किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सूरतपुरा के खाता सं० 219/21 के मु० न० 95 के किला न० 3 की 0.2020 है०, किला न० 4 की 0.2020 है०, किला न० 7, 8, 11 ता 15 प्रत्येक किला की 0.2530 है०, किला न० 19/1 की 0.1260 है०, किला न० 20, 21 प्रत्येक किला की 0.2530 है०, मु० न० 96 के किला न० 15 व 16 प्रत्येक की 0.2530 है०, मु० न० 120 के किला न० 1, 10, 12 प्रत्येक किला की 0.2530 है० कुल 4.0720 है० वाराना खातेदारी वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए हक त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। वादीगण ने घोषणात्मक अनुतोष के साथ साथ अपने दावा में खाता तकसीम का अनुतोष भी चाहा है जिसकी बाबत वादीगण ने पूर्व में हुए वाहमी बंटवारा का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार व कब्जा काश्त अनुसार होने का मय रंगदार नक्शा नजरिया को विस्तारपूर्वक अपने दावा में अंकित किया है। जिस पर सभी पक्षकारान सहमत है। अतः मुताबिक वाहमी बंटवारा के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

हिस्सा वादीगण सं० 1 महावीर प्रसाद पुत्र संतुराम जाति कुम्हार सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 120 के किला न० 1 की 0.0510 है० दक्षिणी तरफ की, किला न० 10 की 0.2530 है०, किला न० 12 की 0.2020 है० पश्चिमी तरफ कुल 0.5060 है०।

हिस्सा वादीगण सं० 2 जिलेसिंह पुत्र संतुराम जाति कुम्हार सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 95 के किला न० 7 की 0.1270 है० दक्षिणी तरफ की, किला न० 11 की 0.2530 है० मय रास्ता 0.0010 है० दक्षिणी-पूर्वी कोना से, किला न० 14 की 0.2530 है० मय रास्ता 0.0130 है० उत्तरी तरफ से, मु० न० 96 के किला न० 15 की 0.2530 है०, कुल 0.8860 है०, वारानी 0.8720 है०, रास्ता 0.0140 है०।

हिस्सा वादीगण सं० 3 ताराचंद पुत्र संतुराम जाति कुम्हार सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 95 के किला न० 8 की 0.2530 है० मय रास्ता 0.0130 है० पूर्वी तरफ

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 308/2021

1. महावीर प्रसाद पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
2. जिलेसिंह पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
3. ताराचंद पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
4. दयाराम पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
5. राजकुमार पुत्र सन्तुराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।

:- वादीगण

व न म

1. सन्तुराम पुत्र धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
2. ओमपति देवी पुत्री सन्तुराम पत्नी मनोहर
3. रोशनी देवी पुत्री सन्तुराम पत्नी दिवानसिंह
4. गुड्डीदेवी पुत्री सन्तुराम पत्नी मनोहर
5. विमला पुत्री सन्तुराम पत्नी इन्द्रसिंह
6. सरोज पुत्री सन्तुराम पत्नी जयवीर
7. आई.सी.आई.सी.आई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

निवासीगण सुरतपुरा त०
भादरा हाल बर्का खेडी त० हिसार
निवासीगण सुरतपुरा त० भादरा हाल
बीबीपुर त० भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक व जोत विभाजन अन्तर्गत

धारा 88, 53 आर टी एक्ट 1955

आज यह वाद मुझ श्रीमती शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा तथा वकील प्रतिवादीगण अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 सुरतपुरा में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा सुरतपुरा के खाते सं० 219 के मु० न० 95 के किला न० 3 की 0.2020 है०, किला न० 4 की 0.2020 है०, किला न० 7, 8, 11 ता 15 प्रत्येक किला की 0.2530 है०, किला न० 19/1 की 0.1260 है०, किला न० 20, 21 प्रत्येक किला की 0.2530 है०, मु० न० 96 के किला न० 15 व 16 प्रत्येक की 0.2530 है०, मु० न० 120 के किला न० 1, 10, 12 प्रत्येक किला की 0.2530 है० कुल 4.0720 है० वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 सन्तुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए हक त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। व वादीगण सं० 1 ता 5 के नाम उपरोक्त वर्णित वादभूमि का घोषणात्मक अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 219/21 के मु० न० 95 के किला न० 3 की 0.2020 है०, किला न० 4 की 0.2020 है०, किला न० 7, 8, 11 ता 15 प्रत्येक किला की 0.2530 है०, किला न० 19/1 की 0.1260 है०, किला न० 20, 21 प्रत्येक किला की 0.2530 है०, मु० न० 96 के किला न० 15 व 16 प्रत्येक की 0.2530 है०, मु० न० 120 के किला न० 1, 10, 12 प्रत्येक किला की 0.2530 है० कुल 4.0720 है० वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 सन्तुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं वादीगण ने घोषणात्मक अनुतोष के साथ साथ अपने दावा में खाता तकसीम का अनुतोष भी चाहा है जिसकी बाबत

वादीगण ने पूर्व में हुए वाहमी बंटवारा का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार व कब्जा काश्त अनुसार होने का मय रंगदार नक्शा नजरिया को विस्तारपूर्वक अपने दावा में अंकित किया है। जिस पर सभी पक्षकारान सहमत है। अत मुताविक वाहमी बंटवारा के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

हिस्सा वादीगण सं० 1 महावीर प्रसाद पुत्र संन्तुराम जाति कुम्हार सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 120 के किला न० 1 की 0.0510है० दक्षिणी तरफ की, किला न० 10 की 0.2530है०, किला न० 12 की 0.2020है० पश्चिमी तरफ कुल 0.5060है०।

हिस्सा वादीगण सं० 2 जिलेसिंह पुत्र संन्तुराम जाति कुम्हार सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 95 के किला न० 7 की 0.1270है० दक्षिणी तरफ की, किला न० 11 की 0.2530है० मय रास्ता 0.0010है० दक्षिणी-पूर्वी कोना से, किला न० 14 की 0.2530है० मय रास्ता 0.0130है० उत्तरी तरफ से, मु० न० 96 के किला न० 15 की 0.2530है०, कुल 0.8860है०, बारानी 0.8720है०, रास्ता 0.0140है०।

हिस्सा वादीगण सं० 3 ताराचंद पुत्र संन्तुराम जाति कुम्हार सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 95 के किला न० 8 की 0.2530है० मय रास्ता 0.0130है० पूर्वी तरफ से, किला न० 12 की 0.2530है० मय रास्ता 0.0250है० जिसमें से 0.0120है० दक्षिणी और 0.0130है० पूर्वी तरफ से, किला न० 13 की 0.2530है० मय रास्ता 0.0130है० उत्तरी तरफ से, किला न० 15 की 0.2530है०, कुल 1.0120है०, बारानी 0.9610है०, रास्ता 0.0510है०

हिस्सा वादीगण सं० 4 दयाराम पुत्र संन्तुराम जाति कुम्हार सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 95 के किला न० 4 की 0.2020है०, किला न० 7 की 0.1270है० उत्तरी तरफ की, किला न० 21 की 0.2530है० मय रास्ता 0.0130है० पूर्वी तरफ से, मु० न० 120 के किला न० 1 की 0.2020है० उत्तरी तरफ की मय रास्ता 0.0100है० पूर्वी तरफ से, किला न० 12 की 0.0510है० पूर्वी तरफ की, कुल 0.8340है०, बारानी 0.8110है० रास्ता 0.0230है०,

हिस्सा वादीगण सं० 5 राजकुमार पुत्र संन्तुराम जाति कुम्हार सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 95 के किला न० 3 की 0.2020है०, किला न० 19 की 0.1260है०, किला न० 20 की 0.2530है० मय रास्ता 0.0130है० पूर्वी तरफ से, मु० न० 96 के किला न० 16 की 0.2530है० कुल 0.8340है०, बारानी 0.8210है० रास्ता 0.0130है०,

हक त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि किसी बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरादम किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

